


फर्द अहकाम

लय उपखण्ड अधिकारी चक्रवर्ती, जयपुर ग्रामीण
 कृष्णा देवी बनाम पंजाब स्थलवासी व अ.क.

संख्या / वर्ष : 52/20 24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/24	<p>पत्रावली वाले आदेश पेश हुई थी कादी अधिकारता मगवान सहाय भाएव हाजिर् (प्रतिवादी) अधिकारता सागतन पीठा हाजिर्</p> <p>कादी ने यह दावा इल आशय का पेश किया है कि कादी एवं प्रतिवादीगण ① ता ④ के कब्जे काबल की भूमि खलसा नम्बर 2457/2 व 2457/3 जिले मूल नम्बर 2457 है / मूल नम्बर है फदी एवं प्रतिवादीगणों के भूमि की - विभाजन के पश्चात् वने कलियान नम्बरों की तरफ नक्शे में सही नहीं की गई है अतः मूल आशुला नम्बर इफ्तान निम्न आ</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड, जयपुर (39)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>प्राधिकारी लेख्य ① ला ③ की ओर से सहमत पत्र जकात पत्रा किया गया। आदेश 23 निम्न L के तहत पाठ पत्र में कोई विवाद शेष नहीं रहने से पाठ पत्र पर आन्तिक रूप से पुनः गया।</p> <p>फरी के पाठ को स्वीकार किया जाया प्राधिकारी लेख्य ④ के तहत तहसीलदार तह. चक्र के आदेशों के अंतर्गत किया जाता है कि मूल खतरा नगण्य 2457 से के किमति नगण्य।</p> <p>2457/1, 2457/2 एवं 2457/3 का मूल तहसीलदार के नगण्य का मुताबिक निम्नलिखित</p> <p>मौका अडला दुकानत किया जाये। मौके अडला 21 ला कर किया। इसी पर्याप्त जारी है।</p> <p>पत्रादली फलक मुना टोका फल मग। ये कर है। डि।</p>